

प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

अनवान सुमेली बनाम सुरपत्रान

सुप्रीम मुकदमा 212 मु० नं० 270 सन् 2024


रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

4.07.2024

प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा राजस्व वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जाँच रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.07.2024 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

29/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार
दृष्टस्थित आये।

पत्रावली वास्ते सूत्रादेशानुसार
दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

20/8/24 प्रार्थी 1101 सं उपर के वकील
उपस्थित पक्षकार के कसबा वरदा
का वाजो (माद) प्रार्थी 1101 की ओर
स कोर उपस्थित पक्षकार सुपरी
अदालत की सुपरी पक्षकार
प्रार्थी 1101 का सुपरी पक्षकार
अथवा प्रार्थी 1101 का सुपरी पक्षकार
दिनांक 20/8/24 को पेश हो।
उपस्थित पक्षकार सुपरी पक्षकार
निमित्त लोख वाद प्रार्थी 1101 का सुपरी पक्षकार
पक्षकार उपस्थित पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज